

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़, जिला- झुझुंनू

(पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुंनू)

जीसीएमएस नं. 2025/484, 485, 486

मुकदमा नम्बर 152, 153, 154/2025

आदेश

दिनांक- 17/09/25

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र एवं पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कसेरू, अजीतपुरा पटवार हल्का कसेरू की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 में दर्ज प्रविष्टियों को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कसेरू	299,375,305	हरिप्रसाद पुत्र सांवलराम	हरिप्रसाद पुत्र सांवरराम
2	अजीतपुरा	65	ओमप्रकाश पुत्र भगवानाराम	प्रकाश कुमार पुत्र भगवानाराम
3	कसेरू	206	सांवरमल पुत्र रामचन्द्र	सांवरमल पुत्र चन्दगीराम
			किशोरी देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र	किशोरी देवी पत्नी चन्दगीराम
			हेतराम पुत्र रामचन्द्र	हेतराम पुत्र चन्दगीराम
			बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र	बाबूलाल पुत्र चन्दगीराम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

दिनांक 17/09/25

क्रमांक/राजस्व/2025/ 674
प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. आवेदक.....

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़